न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—228/2021/223 आर.टी.एक्ट (2021/228)

1. गोपाल पुत्र पन्ना
2. रामचंद्र पुत्र पन्ना
3. किशोर पुत्र पन्ना
4. रामस्वरूप पुत्र पन्ना
5. श्रवण पुत्र मूला
6. कैलाश पुत्र मूला

जाति बावरी, निवासी ग्राम राजपुरा, तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती केलकी पुत्री भंवरा पत्नी किशनाराम जाति बावरी, निवासी ग्राम राजपुरा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर हाल निवासी ग्राम बिदियाद तहसील परबतसर जिला नागौर।
2. श्रीमती गोगा पुत्री भंवरा पत्नी रतनाराम जाति बावरी, निवासी ग्राम राजपुरा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर हाल निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील परबतसर जिला नागौर।
3. श्रीमती नौरती पुत्री भंवरा पत्नी तेजा जाति बावरी, निवासी ग्राम राजपुरा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर हाल निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील परबतसर जिला नागौर।
4. श्रीमती सुगना पुत्री भंवरा पत्नी वंशी जाति बावरी, निवासी ग्राम राजपुरा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर हाल निवासी ग्राम बिदियाद तहसील परबतसर जिला नागौर।
5. रूघा पुत्र रामदीन
6. जगदीश पुत्र रामदीन
7. हरदीन पुत्र रामदीन
8. मुन्नी पुत्री रामदीन
9. नाथी पुत्री रामदीन
10. ग्यारसी पत्नी रामदीन
11. मीरा पत्नी पन्ना
12. गोदावरी पुत्री पन्ना
13. सन्ता पुत्री पन्ना

    जाति बावरी, निवासी ग्राम राजपुरा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर।
14. तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर।
15. उप—पंजीयक रूपनगढ, जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 05.10.2021 उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ राजस्व वाद संख्या 3/2018

उपस्थितः—

1. श्री विकास पाराशर, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री महेन्द्रसिंह चौहान, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4
3. श्री दीपक पारीक, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 5
4. रेस्पोडेंट संख्या 1, 6 से 13 अनुपस्थित
5. रेस्पोडेन्ट संख्या 14 ,15 राजकीय अभिभाषक।

निर्णय

दिनांकः—20.10.2022

1- यह अपील उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 3/2018 में पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक 05.10.2021 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2- प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया तत्पश्चात पत्रावली को वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14(3) जा0दी0 की बहस हेतु प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात गलत रूप से उपरोक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 2.9.2021 को स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति दर्शाते हुए वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र को आधार बनाकर बिना प्रतिवादीगण को साक्ष्य का अवसर प्रदान किए ही एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 5.10.2021 के द्वारा वादीगण का वाद डिक्री कर दिया। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांटस यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या सं0 02 से 04 व 05 की बहस सुनी गई।रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 6 से 13 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नही।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि जब प्रतिवादीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत कर दिया गया एवं इसके आधार पर यदि तनकीयात कायम कर दी गई तो प्रतिवादीगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए था किंतु उनके द्वारा गलत रूप से वादीगण को फायदा पहुंचाने की गरज से एकपक्षीय ही रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 का वाद स्वीकार कर लिया। उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 5.10.2021 नोन स्पीकिंग एवं नोन रिजण्ड निर्णय व डिक्री है क्योंकि उनके द्वारा प्रकरण में ना तो वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवावदावे का कहीं पर भी विवेचन नहीं किया गया जबकि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे से स्पष्ट था कि स्वर्गीय भंवरा को पूर्व में ही खसरा नम्बर 75/3 में सम्पूर्ण खाता आपसी सहमति से अलग से दे दिया गया था जिसका इंद्राज ग्यारसी पत्नी भंवरा के नाम भी तस्दीक किया गया जिसे ग्यारसी द्वारा बेचान कर दी गई। उक्त खाते में भी अपीलांटस एवं शेष रेस्पोडेंटस का हक व अधिकार था किंतु सहमति से उपरोक्त खातों का विभाजन किया गया था इसलिए रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 को वाद पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ ने रेस्पोडेंटस का वाद डिक्री कर दिया। विचाराधीन वाद का निर्णय करने हेतु सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया को अपना कर ही निर्णय पारित करना चाहिए जब प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर दिया गया तो तनकीयात कायम करने के पश्चात प्रतिवादीगण को जिरह एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए उक्त प्रकरण में ना तो दस्तावेजों को प्रदर्श किया गया एवं ना ही किसी प्रकार से कोई जिरह की गई एवं ना ही उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ द्वारा अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया कि किस प्रकार से एवं किस आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 1

लगायत 4 का वाद डिक्री किया जा रहा है। उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ द्वारा अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर दिए बिना ही वाद डिक्री कर दिया व प्रतिवादीगण अपने वाद को कंटेस्ट कर रहे हैं एवं जवाबदावा भी प्रस्तुत किया गया था इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ ने मात्र तीन पेशीयों में ही वाद डिक्री कर दिया जो न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ के आदेश दिनांक 05.10.2021 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त फरमाया जाने के आदेश प्रदान करावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ ने विधिवत रूप से निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है पत्रावली पर समस्त रिकार्ड उपलब्ध है एवं वादीगण को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया है इसलिए प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित ना किया जाकर गुणवगुण पर निर्णय पारित किया जावे और अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को बहाल रखा जावे।

6. हमने उभयपक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन हमने पाया की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 उक्त आश्य की कायम की गई थी, कि वादीगण वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं, उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार रेस्पोडेंट/वादी पर था पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड से उक्त तथ्य साबित है कि वादग्रस्त आराजीयात स्वर्गीय भंवरा की आराजी थी जिन्होंने पूर्व में ही खसरा नम्बर 75/3/6 कि आराजीयात सम्पूर्ण खाता आपसी सहमति से वादीगण रेस्पोडेंट को अलग से दे दिया था जिसका इंद्राज जमाबंदी सम्वत 2060–63 में ग्यारसी बेवा भंवरा के नाम से दर्ज है। तत्पश्चात उसकी आराजीयात को अन्यत्र बेचान कर दिया गया जिसकी वादीगण को प्रारंभ से ही जानकारी थी और खसरा नम्बर 59 और 60 में से भी अपना हिस्सा अलग से ले लिया गया और स्वर्गीय भंवरा द्वारा जीवनकाल में वादीगण के विवाह आदि सभी कार्य सम्पन्न कर दिए एवं बंटवारा कर दिया इसलिए अब उनका कानूनन कोई अधिकार शेष नहीं रहता और अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे वादीगण का वादग्रस्त आराजीयात में हक व अधिकार बनता हो इसलिए उपरोक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है। तनकी संख्या 2 व 3, तनकी संख्या 1 में किए गए विवेचन अनुसार वादीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए उपरोक्त विवेचनानुसर अपील स्वीकार की जाती है।

7. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी,रूपनगढ़ के द्वारा वाद संख्या 03/2018 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.10.2021 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। पर्चा डिक्री जारी हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 20.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर